

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

:- आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-08.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सामुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भाष्करानन्द जोशी	वरिष्ठ सहायक	सामु0स्वा0केन्द्र भिकियासैण, अल्मोडा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर, उधमसिंह नगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दवाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 1217 | तददिनांकित।

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंह नगर
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(९०९११० सैगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरीश लाल	प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12165 तददिनांकित।

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/12129


देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

:- आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ललित जोशी	प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/12150


देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

:- आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कायम रजा जैदी	वरिष्ठ सहायक	सामु0स्वा0केन्द्र लक्सर, हरिद्वार	सामु0स्वा0केन्द्र हिन्डोलाखाल, टिहरी गढवाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(रविन्द्र थुपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढवाल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढवाल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एसओ सैगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दीपक बहुगुणा	वरिष्ठ सहायक	सामु०स्वा०केन्द्र पैठाणी, पौड़ी गढवाल	सामु०स्वा०केन्द्र विकासनगर, देहरादून	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12/67

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढवाल/देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

:- आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सामुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कंचन कुमार भगत	कनिष्ठ सहायक	बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12155 तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
- 4- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

:- आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री पारस विष्ट	कनिष्ठ सहायक	सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र मोतीनगर, हल्द्वानी	कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुश्रमसहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12157

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4- प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र मोतीनगर, हल्द्वानी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

(50एस10 सैगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुनील कुमार भण्डारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	वेस चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र-पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12161

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 4- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वेस चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/पौड़ी गढ़वाल।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती ललिता देवी	वरिष्ठ सहायक	प्रा०स्वा०केन्द्र मोटाहलदू, नैनीताल	सामु०स्वा०केन्द्र काण्डा, बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12145

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

:- आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	वरिष्ठ सहायक	सामु0स्वा0केन्द्र रायपुर, देहरादून	सामु0स्वा0केन्द्र वैलेश्वर टिहरी गढवाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शबिन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/12147 तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल/देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(ए0एस0 सैगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- 22/06/2019

—: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुभाष चन्द्र	वरिष्ठ सहायक	प्रा०स्वा०केन्द्र ईमलीखेडा, हरिद्वार	प्रा०स्वा०केन्द्र पाटीसैण, पौड़ी गढवाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12149

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढवाल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढवाल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशा०)